क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.– I, फेज–द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email ID : robhiwadi@gmail.com. Ph- 01493-221435

राप्रनिम / क्षे0का0 / भिवाडी / निविदा–08 / 2025–26 / 1285-1286 दिनांक: 13/06/2025

निविदा / बोली सूचना संख्या –08 / 2025–2026

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की शेष अवधि के लिये निम्न सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता / संवेदको / फर्मो से निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती है:–

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि [लाखो मे]	बोली प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि	बोली प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन–4)	06.25	500/–	12500/–	23.06.2025 कार्यालय समयानुसार	24.06.2025 दोपहर 11.00 बजें	24.06.2025 दोपहर 12.00 बजें

निविदा प्रपत्र एंव अन्य शर्ते वेवसाईट **http:/www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb** एवं **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड प्रपत्र उपयोग में लेने पर निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि 12500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Payable at Bhiwadi के नाम से नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सील वंद लिफाफे पर **"कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) हेतु निविदा"** स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी व वित्तीय वोली हेतु प्रपत्र, पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी। उपापन समिति द्वारा वोली स्वीकार करने/रद्द करने का निर्णय अंतिम होगा। इस निविदा की UBN No. PCB2526SSOB00035 है।

(अमित जुयाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

राप्रनिम / क्षे0का0 / भिवाडी / निविदा–08 / 2025–26 / दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईटो पर आज ही अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी।

क्षेत्रीय अधिकारी 13.6.25

Annexure-I

<u>तकनीकी बोली प्रपत्र</u>

<u>(लिफाफा न. 01)</u>

<u>कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) कुल संख्या –04</u>

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. भिवाडी की बोली सूचना
   संख्या – 08.......................... दिनांक ....
2. बोलीदाता /संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :– ....
   ....
4. फोन/मोबाईल नं. :– ....
5. ई–मेल :– ....
6. बैंक का नाम :– ....
   आईएफएससी कोड :– ....
   खाता संख्या :– ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म, भिवाडी
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 500/– रू (पॉच सौ मात्र)
   (2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक........../
   डीडी क्रमांक .... दिनांक ....राशि...............
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. अमानत राशि 12500/– का डी.डी. Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Payable at Bhiwadi के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।
    डी.डी. न0.................... दिनांक.................... बैंक का नाम..
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति से दिनांक **31.03.2026** तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगी:–

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लेक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने सम्बन्धी 50 रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्षो में किसी भी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/राजकीय उपक्रम/राजकीय कार्यालय में न्यूनतम 2 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) एक ही समयावधि में कम से कम 02 वर्ष निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संवंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से लगाना होगाः–

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

15. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी द्वारा जारी की गई बोली/निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक............. दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संवंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम ....

मोबाईल न. –

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थानराज्य प्रदूषणनियंत्रण मण्डल
जी.ओ.– I, फेज–द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email ID : robhiwadi@gmail.com. Ph- 01493-221435

निविदादाता द्वारा धोषणा पत्र

मै/हम धोषणा करते हैं कि मैनै/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते हैंकि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एंव वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वाछिंत मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एंव RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एंव मोहर

नाम

पूर्ण पता

मो.नम्बर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

General Trems& Conditions of Bid & Contract:-

कार्य का नाम – कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) (कुल संख्या 4)

Important Instructions :- The law relating to procurement " The rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinfafter called the act} and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinfafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal http://sppp.raj.nic.in. Therfore, the bidders are advised to acquaint themselves will the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the procision of the act and the reles and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

1. बोलीदाता को बोलियॉ पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर **कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) के लिए तकनीकी बोली** अंकित हो मय बोली अमानत राशि 12500/– का डीडी Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Payable at Bhiwadi के नाम देय बोली के साथ आवश्यक है। तकनीकी बोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तो के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों, होंने चाहिए। द्वितिय लिफाफा जिस पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) के लिए वित्तीय बोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियो के लिफाफे एक बडे लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)" अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।
2. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure I & II अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
3. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
4. कार्य के समय लागू जी0एस0टी0 की दरे अतिरिक्त देय होगी।
5. बोलीयां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 8 तक के प्रमाण पत्र बैक खाता विवरण एवं बोली प्रपत्र एंव शर्ते मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।

7 बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।

8 फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।

9 संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगां जब तक की वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तो का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

10 बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।

11 दरे अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नही किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगं अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।

12 दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से 31.03.2026 तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

13 राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एंव इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

14 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संवंधित संवेदक/वोलीदाता का होगा।

15 राजरथान अनुवंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/वोलीदाता ही उक्त प्रकार की वोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए वोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

16 संवेदक/वोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके वैंक खातो में ही किया जायेगा। संवंधित संवेदक/वोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के वैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक विल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के वैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण वावत् संतुश्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के विल का भुगतान किया जायेगा।

17 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संवंधित संवेदक/वोलीदाता का होगा।

18 श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/वोलीदाता को वढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

19 संवेदक/वोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/वोलीदाता का अंशदान भामिल होगा। संवेदक/वोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के विल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संवंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/वोलीदाता को आगामी माह के विल/विलों का भुगतान किया जायेगा।

20 संवेदक/वोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्वर एवं संवेदक/ वोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संवंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

21 राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/वोलीदाता का होगा।

22 संवेदक/वोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ वोलीदाता की ही होगी। संवेदक/वोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के विल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के विल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संवंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/वोलीदाता का होगा।

23 श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/वोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/वोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

24 यदि संवेदक/वोलीदाता एंव कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रंवधकीय जिम्मेदारी संवेदक/वोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुवंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

25 नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

26 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संवंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना वीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

27 यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संवंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आव‍यक होने की स्थिति में संवेदक/वोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

28 यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

29 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एंव उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/ बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) उपलब्ध करवाना होगा।

30 खुली बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्पूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

31 अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन), कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जोयगी।

32 इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

33 बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

34 बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।

35 जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 04 दिवस में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) उपलब्ध करवायेगा।।

36 मूल्यांकन की कसौटी– खुली बोली में सफल / क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

37 बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

38 अमानत राशि 12500/– का डी.डी. Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Payable at Bhiwadi के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न संलग्न करना होगा।

39 करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):–

(अ) बोली आंमत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की **नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति** के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करांर पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 07 दिवस में कार्यालय में जमा करानी होगी।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

40 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण Security (Forfeiture of Work Performance Deposit) :–कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

41 भुगतानः—

(प) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

42 बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी से सम्पर्क किया जा सकता है।

मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गई सीमित बोली सूचना.......................... दिनांक................. में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रो (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही है। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्व कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

1. कम्प्यूटर कर्मी की योग्यताः–

(i) न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज (मशीन विद मैन) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, एमएस ऑफिस व इन्टरनेट का ज्ञान हो एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने में दक्ष हो।

(iii) हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है एवं दोनों भाषा में न्यूनतम 15 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति होना अनिवार्य है।

(iv) कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

2. मशीनों का विवरणः–निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है–

I) Computer –Intel Core I3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more. 15" Monitor/TFT or bigger 10/100/1000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical Mouse, Standard serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Pre installed MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

II) Printer:-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Do Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

III) UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

3. निविदादाता एजेन्सी का सर्विस टैक्स/जीएसटी हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है

4. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये सन्तोषप्रद नही पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा ।

5. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.30 बजे से सायः 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

6. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मीयों को सविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एव पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच दिनो के अन्दर अन्दर कार्यालय मे प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि मे यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्श 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

8. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र, भिवाडी होगा।

9. किसी भी माह में चार दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा। इससे अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर 200/– प्रतिदिन प्रति कम्प्यूटर की दर से कटौती की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाडी, जिला खैरथल–तिजारा

10. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था/फर्म ही उसके लिये उत्तरदायी होगी। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उतरदायी नही होगा।

11. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय–समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी।

12. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम मैसर्स...
....
पताः..
....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to……………………………………………………for procurement of ……………………………………in response to their Notice Inviting Bids No. ………………………… Dated………………………… I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:………………..

Palace:………………

Signature of bidder

Name:……………………………………..

Designation:……………………………

Address:…………………………………..

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary,RSPCB Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases.**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....

of...

Before the .... (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   - (i) Name of the appellate:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   - (i)
   - (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

   ....

   ....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

   ....

   ....

Place:..................

Date:...................

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure-II

प्राईस–शिड्यूल
(लिफाफा न. 02)
(वित्तीय बोली प्रपत्र)

कार्य का नाम – कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) **(कुल संख्या 4)**

सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों की संख्या (प्रति ईकाई)	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) **(कुल संख्या 4)**	**उच्च कुशल**	**9334**	**01**		**13.00 (नियोक्ता)**	**3.25 (नियोक्ता)**			

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 5, व 8 से 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. कॉलम सं0 09 में देय राशि न्यूनतम 1/– रूपये से कम नही भरी जावे। राशि शुन्य या ऋणात्मक या 1/– रूपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिय जावेगा। राशि पूर्णाक में ही भरी जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम –

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा